

अहकाम
हुक्म को
में जारी हुए
27.12.24

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.11.24 को अवकाश
दोषित करने से पत्रावली आज पेश हुई।
पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं।
अतः इलतवा होकर पत्रावली आइन्दा
27.12.24 को पेश हो।

27.12.24

पत्रावली पेश हुई। प्राची वकील उप. विप्राश्रीगण को
नोटिस विधिवत तामिली के बापजूड अनु. वि
लिहाजा विप्राश्रीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्य वाही
अमल में लाई जाती हैं। चूंकी मूल वाड में
पाश्रीगण उिही होकर विभाजन प्रस्ताव के इनामा
ने होने एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों एवं
विधान प्राची वकील के बहल पर वाड मनन
प्राची का प्रार्थना पर वकील कार कर उक्त प्राची
का नें पूर्व में जारी क्लॉकि के लिये निषेधाज्ञा
कौबरा को वाड के फैसल होने तक क्लॉकि
निषेधाज्ञा को ताफैलना कर्फर की जाती है।
प्रतिवाहीगण को के एवं रिकर्ड की यथा स्थिति
ब्याप नखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर हाथिल
दफ्तर हो। पत्रावली संख्या से कम है।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

